भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 154
जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2015 को दिया जाना है

एचएमटी का पुनरुद्धार

154. श्री वी. पन्नीरसेलवम:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रानीबाग में घाटे में चल रहे एचएमटी वॉच लिमिटेड कारखाने की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राइस वॉटर हाउस कूपर्ति, जो एक ऑडिटर कंपनी है, द्वारा तैयार रिपोर्ट को रानीबाग में एचएमटी के पुनरुद्धार हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी पुनरुद्धार बोर्ड के समक्ष रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, नहीं।

(ख): लागू, नहीं।

(ग): एचएमटी वाचिज लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए मै0 प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, जिसमें एचएमटी रानीबाग शामिल है, पर भारी उद्योग विभाग द्वारा विचार किया गया था और उसे लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(घ): रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्टरी एचएमटी वाचिज लिमिटेड की एक इकाई है, जो अपने कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान करने के लिए भारत सरकार पर निर्भर है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 29.12.2014 को आयोजित अपनी बैठक में भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को योजनेतर बजटीय सहायता चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए तैयार किए गए रोड मैप संबंधी कैबिनेट नोट को अनुमोदित किया है जिसमें एचएमटी वाचिज लिमिटेड के कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस/वीएसएस का प्रस्ताव देते हुए कंपनी को बंद करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

******